

पर्या डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या - 147 / 2025

नवाने

राजाराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

बनाम

तहसीलदार राजस्व टिब्बी, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री हरविन्द्र सिंह :- वादी

2 राजपैरोकार

डिक्री

दिनांक 8/5/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादी श्री हरविन्द्र सिंह व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद
वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी
मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक नं० 10 जीजीआर के खाता
सं० 120/121 में दर्ज वादी का नाम राजुराम पुत्र हेतराम को दुरुस्त कर सही नाम
राजाराम पुत्र हेतराम दर्ज किया अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या
कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया
जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय
का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान
अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 8/5/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी

की गई।

25
(सत्यनारायण आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी